राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.–अरथुना/अभियोग/2019/ 1739 जयपुर,दिनांकः 18/09/20

:: आदेश ::

जिला भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर में दिनांक 12.04.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 86/2019 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट एवं 120 बी. आईपीसी. में दर्ज की गई है। जिसमें श्री मुकेश मोड पटेल, पुत्र श्री किशनजी मोड पटेल, निवासी, गांव भांरडाजाल हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति अरथुना, जिला बांसवाडा पर अन्य के साथ अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित माने जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक 1819 दिनांक 16.05.2019 द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय, जिला परिषद डूंगरपुर किया गया।

उक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व श्री मुकेश मोड़ पटेल ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में CW 2530/2020 दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 में अपील निस्तारण के संबंध में निम्न निर्देश प्रदान कियेः–

Having regard to the facts noticed above, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondent no. 1 to decide petitioner's appeal against order dated 16.05.2019 as expeditiously as possible, preferably within a period of one month from today.

In case the appeal is not decided on or before 31.03.2020, the petitioner will be free to take appropriate remedy including filing of a writ petition while withdrawing the appeal before the Appellate Authority.

श्री मुकेश मोड पटेल को दिनांक 17.09.2020 को इनके द्वारा प्रस्तुत अपील पर व्यक्तिगत सुना गया। इनके द्वारा प्रस्तुत अपील, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन विवेचन किये जाने के उपरांत पाया गया कि दर्ज प्राथमिकी में अन्य दोषियो में एक दोषी है इनको भ्र.नि.ब्यू. द्वारा सीधा ट्रेप नहीं किया गया है।

अतः श्री मुकेश मोड़ पटेल, सहायक विकास अधिकारी (निलम्बित), तत्कालीन पं.स. अरथूना जिला बांसवाड़ा, हॉल मुख्यालय जिला परिषद डूंगरपुर के निलम्बन को अभी रिवोक (Revoke) किया जाता है। एफ.आई.आर. के न्यायालय में निर्णय पर प्रकरण पर पुनः विचार किया जावेगा।

उक्तानुसार श्री मुकेश मोड, पटेल सहायक विकास अधिकारी (निलम्बित), तत्कालीन पं.स. अरथूना जिला बांसवाड़ा, हॉल मुख्यालय जिला परिषद डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

आज्ञा से,

18/9/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\SSR\CCA PE\2019\Notice 2019.doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
6. श्री मुकेश मोड पटेल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. अरथुना, जिला बांसवाड़ा, हॉल मुख्यालय जिला परिषद डूंगरपुर।
7. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
सयुंक्त शासन सचिव—II